**(वाद संख्या–1398/17)**

27.08.2019

नोटिस दिये जाने के बावजूद भी परिवादी श्रीराम सिंह, अनुपस्थित हैं।

प्रस्तुत मामला परिवादी श्रीराम सिंह के 15 वर्षीया अव्यस्क पुत्री, सीमा कुमारी, के दिनांक 26.01.2017 को अपहृत किये जाने से संबंधित है, जिसके संबंध में परिवादी द्वारा पीरपैंती थाना में, पीरपैंती थाना कांड संख्या 40/2017 संस्थित किया गया है। आयोग द्वारा उपरोक्त कांड के संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर से प्रतिवेदन की मांग की गयी है तथा इस निमित्त उन्हें पांच बार स्मारित भी किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी एक अव्यस्क लड़की के अपहरण से संबंधित प्रस्तुत मामले में वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर द्वारा वांछित प्रतिवेदन आयोग को समर्पित नहीं किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर को यह निर्देश दिया जाता है कि वह दिनांक 14.11.2019 के पूर्व अगर आयोग द्वारा वांछित प्रतिवेदन आयोग को समर्पित नहीं करेंगे तो आयोग को बाध्य होकर उन्हें सदेह उपस्थिति हेतु आदेश पारित करना पड़ेगा।

वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर को दिये जाने वाले पत्र के साथ परिवादी के परिवाद पत्र की प्रति (पृ0–11–1/प0) को भी संलग्न कर दिया जाय।

संचिका दिनांक 21.11.2019 को उपस्थापित किया जाय।

**(उज्ज्वल कुमार दुबे)**
**कार्यकारी अध्यक्ष**

सहायक निबंधक